

राज्य प्रवेश शासन
भीषान में आवादी राहत एवं पुनर्वासि विभाग

क्रमांक का-5-17/93/47-1/ 488
प्रति,

भीषान, दिनांक 31 मार्च, 1993

मुख्य विधित्ता एवं स्वास्थ
अधिकारी [भीषान]
भीषान ।

विषय:- मण्डल केन्द्र विधित्ता एवं सेवा समिति, भीषान को अनुदान स्वीकृत करने के सम्बन्ध में ।

राज्य शासन, मण्डल केन्द्र विधित्ता एवं सेवा समिति द्वारा भीषान में निर्मित कराये जा रहे अतिआधुनिक केन्द्र अस्पताल, जिसमें भूत वाहियों के लिये एक पुष्क वाई का निर्माण भी शामिल है, के निर्माण के लिये मण्डल केन्द्र विधित्ता एवं सेवा समिति को रु 1, 00, 00, 000/रुपये एक करोड़] केवल का अनुदान स्वीकृत करते हुये अनुदान की स्वीकृति प्रदान करता है ।

2- विधित्तालय में भूत वाहियों के उपचार के लिए एक 8 बेडवायुक्त पुष्क वाई निर्मित किया जायेगा तथा इस वाई की सुविधा अस्पताल प्रारंभ होने की तिथि से 10 वर्ष की अवधि तक उपलब्ध होगी । इस अवधि में सेवा का पुष्क मरीज द्वारा देय नहीं होगा, परन्तु विधित्ता संबंधी अन्य खर्च उसे वहन करना होगा ।

3- उपरोक्त राशि के आहरण एवं संचालन अधिकारी, मुख्य विधित्ता एवं स्वास्थ अधिकारी [मण्डल] भीषान होंगे । वे राशि आहरित कर मण्डल केन्द्र विधित्ता एवं सेवा समिति, भीषान को उपलब्ध कराकर वाकाली की सुचना इस विभाग को देंगे ।

4- उपरोक्त व्यवसाय संख्या- 72 -2210-विधित्ता और लोक स्वास्थ्य- [01]-शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ-खोपेयी-[001]-निर्देशन और प्रशासन-14-आर्थिक सहायता /सहायक अनुदान-मण्डल केन्द्र विधित्ता एवं सेवा समिति, भीषान को अनुदान [आयोज्येतर] के अन्तर्गत विद्यमान होगा ।


31/3

34

5- यह स्वीकृति विरत विमान के पुं० क्रमांक- 234/AR.SR/148/AR
क-5 दिनांक 31-3-93 द्वारा महालेखाकार, मध्य प्रदेश शासन को प्रकटांकित की गई है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
जालेखाकार,

27/3

 31/3
| एके० तरेना |

उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन


भोपाल गैर आवासीय राहत एवं पुनर्वासि विभाग

पुं० क्रमांक का-5-17/93/47-1/ 489 भोपाल, दिनांक 31 मार्च, 1993

प्रतिनिधि:-

- 1- सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विरत विमान [क-5], भोपाल को दो
अतिरिक्त प्रतियों सहित सूचनार्थ तथा अतिरिक्त प्रतियां महालेखाकार, मध्य प्रदेश
शासन को प्रकटांकित करने हेतु अंगेकित।
- 2- क्षेत्राध्यक्ष अधिकारी, विना क्षेत्राध्यक्ष, भोपाल।
- 3- सचिव, मध्यप्रदेश केन्द्रीय विधिलता एवं सेवा समिति, मध्य प्रदेश भोपाल।

27/3

 31/3
| एके० तरेना |
उप सचिव

नारायण/31-3-93

पृ-2

प्रपत्र 'ब'

गैस पीड़ित कैंसर रोगियों को शासन के व्यय पर उपचार हेतु भेजे जाने की वर्षवार जानकारी

वर्ष	रेफर किये गये मरीजों की संख्या	वर्ष में की गई भुगतान की राशि	रिमार्क
05.03.1998 से 31.03.1999 तक	221	3278867/-	कैंसर रोगियों को 05.03.1998 से जवाहर लाल नेहरू कैंसर चिकित्सालय रेफर किया गया है।
01.04.1999 से 31.03.2000 तक	APL - 32 BPL - 28	3942252/-	कैंसर नीति दिनांक 02 दिसम्बर, 1999 के अनुसार
01.04.2000 से 31.04.2001 तक	APL - 75 BPL - 91	3982007/-	
01.04.2001 से 31.03.2002 तक	APL - 59 BPL - 102	3766464/-	
01.04.2002 से 31.03.2003 तक	APL - 74 BPL - 110	4746337/-	
01.04.2003 से 31.03.2004 तक	APL - 81 BPL - 115	3981437/-	
01.04.2004 से 27.12.2004	APL - 95 BPL - 57		
28.04.2004 से 31.03.2005 तक	83	6294983/-	नई उपचार नीति दिनांक 23.12.2004 जो कि 28.12.2004 से प्रभावशील
01.04.2005 से 31.03.2006 तक	219	12259224/-	
01.04.2006 से 31.03.2007 तक	257	21188341/-	
01.04.2007 से 31.03.2008 तक	256	34789520/-	
01.04.2008 से 31.03.2009 तक	259	30937584/-	
01.04.2009 से 31.03.2010 तक	253	20324916/-	
01.04.2010 से 31.03.2011 तक	283	26902258/-	
01.04.2011 से 31.03.2012 तक	330	35798100/-	
01.04.2012 से 31.03.2013 तक	383	63999363/-	
01.04.2013 से 31.03.2014 तक	273	44657118/-	
01.04.2014 से 31.03.2015 तक	191	42478566/-	
01.04.2015 से 31.03.2016 तक	279	34642851/-	
01.04.2016 से 31.03.2017 तक	JNH - 138	18999433/-	
कुल योग :-	4370	416969621:-	

Dhanwar
20.12.17
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
गैस राहत भोपाल